प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड व अन्य

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य

7 फरवरी 1994

[बी.पी. जीवन रेड्डी और बी. एल. हंसारिया, जे. जे.]

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 2 (डी) ''माल''-संषोधन अधिनियम 1958 द्वारा संषोधित - उद्देश्य व प्रभाव। धारा 8 (3) (बी) सपठित धारा 8 (1) (बी)- समाचार पत्रों के मुद्रांकों/प्रकाषकों द्वारा कच्चे माल की अन्तर्राज्यीय खरीद कर की दर 10 प्रतिषत के मुकाबले 04 प्रतिषत ही रियायती दर ''माल'' की संशोधित परिभाषा समाचार पत्रों को छोडकर - समाचार पत्रों को कर की रियायती दर का लाभ देने से इंकार की वैधता।

भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 265-प्रेस की स्वतंत्रता-सूचना प्रकाषित करने, प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस को करों और सामान्य कानूनों से छूट नही है हालांकि इसे अन्य उद्यमों की तुलना में उच्च स्तर पर रखा गया है- कर के मामलें में विशेष व्यवहार दिया गया है।

कानून की व्याख्याः परिभाषा खंड-यंत्रवत लागू नही किया जाना चाहिये क्योंकि इससे बेतुके और अनपेक्षित परिणाम हो सकते है-प्रसांगिक अर्थ - इसका महत्व व अनुपयोग।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 2 में अभिव्यक्त ''माल'' की परिभाषा को 1958 में संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समाचार पत्रों को ''माल'' के दायरे से बाहर कर दिया गया। राजस्व के अनुसार इस संशोधन का प्रभाव अखबारों के मुद्रकों/प्रकाशकों को धारा 8 (3) (बी) सपठित 8 (1) (बी) के तहत उनके द्वारा खरीदे गये कच्चे माल पर कर की रियायती दर के लाभ से वंछित करना था और यह कि वह 10 प्रतिषत की दर से कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। समाचार पत्रों के मुद्रकों/प्रकाशकों ने उपरोक्त आधार पर सवाल उठाते हुए मांगों को संबंधित उच्च न्यायालयों में उठाया। मद्रास व केरल उच्च न्यायालय ने माना कि समाचार पत्र लाभ के हकदार थे जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विपरित दृष्टिकोण अपनाया।

उक्त उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध वर्तमान अपीलेंं दायर की गई।

अपीलों का निपटान करते हुए न्यायालय ने माना:

1. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 (3) (बी) में अभिव्यक्त ''माल'' में बिक्री के लिए उपयोग में लाये जाने वाले माल के

निर्माण या प्रसंस्करण में समाचार पत्रों को शामिल नही किया गया है। {695 एच, 696 ए }

इंडियन एक्सप्रेस (मदूरै) लिमिटेड बनाम उक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी (1972) 29 एस.टी.सी. 88, मद्रास उच्च न्यायालय और मलयाला मनोरमा कम्पनी और अन्य बनाम सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) बिक्री कर विषेष सर्कल कोट्टायम व अन्य केरल उच्च न्यायालय द्वारा 18 अगस्त 1990 को ओ.पी. संख्या 143/1989 का निपटारा किया गया, इसकी पुष्टी की गई।

प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड व अन्य बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी VII सर्कल, बैंगलोर व अन्य 59 एस.टी.सी. 306 से खारिज कर दिया गया है।

2. समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विशेष व्यवहार की एक दार्शनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता हमेशा एक पोषित अधिकार रही है। समाचार पत्र ना केवल समाचार प्रसारित करते है बल्कि विचारों, विचारों और विचारधाराओं के अलावा और भी बहुत कुछ प्रसारित करते है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार व शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य निकायों के कुकर्मों, विफलताओं और खामियों को सामने लाकर सार्वजनिक हितों की रक्षा करें इसीलिए इसे चतुर्थ स्तम्भ के रूप में वर्णित किया गया है। आज किसी भी

राज्य की लौकतांत्रिक साख इस बात से आंकी जाती है कि उस राज्य में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है इसीलिए प्रकाशित करने के अधिकार, सूचना प्रसारित करने के अधिकार और समाचार पत्रों के प्रसार के अधिकार से सीधे संबंधित कोई भी अधिरोपण या प्रतिबंध निषिद्ध है हालांकि प्रेस भूमि के करों और सामान्य कानूनों से अछूता नही है { 691-सी-जी }

एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ ए.आई.आर. (1958) एस.सी.578 रमेष थापर व मद्रास राज्य ए.आई.आर. (1950) एस.सी.124, सकल पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1962) 3 एस.सी.सी. 788 और इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1985) 1 एस.सी.सी. 641 पर निर्भर।

टर्मिनल बनाम शिकांगो (1949) 93 एल.एन्ड 1131 और डी.जोन्डे बनाम ऑरेगन (1937) 299 यू.एस. 353 संदर्भित।

3.1 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54, जो राज्य विधानसभाओं को माल की बिक्री कर कर लगाने का अधिकार देती है, समाचार पत्रों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसका परिणाम यह है कि राज्य विधानमण्डल समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए सक्षम नही है।

प्रविष्टि 92 सूची I ने संसद को समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद और उसमें प्रकाषित विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार दिया है लेकिन संसद ने अब तक ऐसा करने का विकल्प नही चुना है। संविधान के 6वें

(संशोधन) अधिनियम 1956 द्वारा प्रविष्टि 92-ए को सूची I में पेश किया गया था और सूची II में प्रविष्टि 54 को सूची I की प्रविष्टि 92-ए के प्रावधानों के अधीन बनाने के लिए संशोधित किया गया था। {690-डी-ई}

3.2 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (डी) में ''माल'' की परिभाषा में संशोधन, उक्त परिभाषा को संविधान के छठे (संशोधन) अधिनियम द्वारा लाये गये संशोधनों के अनुरूप लाने की दृष्टि से लाया गया था अर्थात् समाचार पत्रों की बिक्री को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट देना। उक्त संशोधन का उद्देश्य एक बोझ पैदा करना नही था बल्कि समाचार पत्रों पर पहले से मौजूद बोझ को दूर करना था जो पहले से ही अखबारों की नीति पर मौजूद था, जो समाचार पत्रों पर कर (बिक्री और विज्ञापन शुल्क) निरसन अधिनियम, 1951 के अधिनियम द्वारा प्रमाणित है। धारा 8 (3) (बी) में आने वाले अभिव्यक्त माल को समझने व व्याख्या करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि धारा 8 (3) (बी) के दूसरे भाग में चार मौकों पर अभिव्यक्त ''माल'' शब्द आता है और तीन मौंको पर (प्रथम आधे में) इसका संबंध आमतौर पर कच्चे माल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है (ऐसे मामलों में जहां उन्हें किसी डीलर के द्वारा बिक्री के लिए माल के निर्माण व उपयोग के लिए खरीदा गया था) हालांकि चौथी बार (बाद में) आने वाला उक्त शब्द स्पष्ट रूप से संदर्भित नही कर सकता है यहां निर्मित माल से ऐसे क्रय डीलर द्वारा निर्मित माल को संदर्भित करता है- इस मामले में, समाचार पत्र के दूसरे भाग में ''माल'' से एक अलग

अर्थ जुडा हुआ है धारा 8 (3) (बी) के अनुसार यह समाचार पत्रों को धारा 2 (डी) में परिभाषा के संषोधन से पहले की स्थिति में अधिक प्रतिकूल स्थिति में डाल देगा। धारा 2 जो अधिनियम में होने वाली कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है, ''इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा आवष्यकता न हो'' शब्दों से शुरू होती है। इससे पता चलता है कि जहां भी अधिनियम में ''माल'' शब्द आता है, यह अनिवार्य नही है कि कोई व्यक्ति उक्त अभिव्यक्ति को यांत्रिक रूप से खण्ड (डी) में निर्दिष्ट अर्थ दे। सामान्यतः ऐसा ही होता है लेकिन जहां संदर्भ अनुमति नही देता है या जहां संदर्भ को अन्यथा आवष्यकता होती है, वहां उस परिभाषा में दिये गये अर्थ को लागू करने की आवष्यकता नही है। अगर इस विचार को ध्यान में रखा जाये तो धारा 8 (3) (बी) के दूसरे भाग में आने वाले अभिव्यक्ति ''माल को समाचार पत्रों को इसके दायरे से बाहर करने के लिए नही लिया जा सकता है प्रसंग इसकी अनुमति नही देता है। {694-सी-एच, 695-ए,बी}

3.3. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां संदर्भ अनुमति नही देता है वहां यह बेतुके या अनपेक्षित परिणाम की और ले जायेगा वहां अभिव्यक्ति की परिभाषा को यंत्रवत लागू करने की आवश्यकता नही है। {695-ई}

टी.एम. केनियन बनाम आयकर अधिकारी पाण्डिचेरी व अन्य

(1968) एस.सी.आर.103, पुष्पा देवी व अन्य बनाम मिल्खीराम, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा (1990) 2 एस.सी.सी.134 और आयकर आयुक्त बैंगलोर बनाम जे.एच.गोटला, यादगिरी {1985} 4 एस.सी.सी. 343 पर निर्भर।

3.4. न्यूजप्रिन्ट पर कर के मामलों में यह स्पष्ट दिखाने के लिए पर्याप्त हो सकता है और ध्यान देने योग्य बोझ स्पष्ट रूप से और सीधे कर के लिए जिम्मेदार है हालांकि आम तौर पर किसी कर कानून पर केवल तभी सवाल उठाया जा सकता है जब वे या तो खुले तौर पर जब्त करने योग्य हो या जब्त करने के लिए एक रंगीन उपकरण है। {694-ए-बी}

इंडियन ऐक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1985) एस.सी.सी. 641 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नंबर 1985 का क्रमांक 1550

साथ

सी.ए.क्रमांक 2494/1993, 694, 672/1994 एवं डब्लू.पी.(सी.) क्रमांक 278/1991

सोली जे. सोराबाजी, अरूण जेटली, जी.वी.अय्यर, हरीश एन. साल्वे, एन.संतोष हेंगडे, डाॅ. वि. गौरी शंकर, जे. वेल्लापली, सुनिल गुप्ता, सुकुमारन, के.वी. विश्वनाथन, के.वी. वैंकटरमन, गौरव बैनर्जी, रंजन

करंजावाला, एम.ए. फिरोज, एम. वीरप्पा, के.एच. नोबिन सिंह और के.जे. जॉन उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

बी.पी. जीवन रेड्डी, जे.

1. इस बैंच के समक्ष अपीलों में सवाल यह है कि क्या समाचार पत्रों के प्रकाशक केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (1) (बी) सपठित धारा 8 (3) (बी) के लाभ के हकदार है। जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जायेगा यदि वे इसके हकदार है तो वे अपने लिए आवश्यक कच्चा माल 4 प्रतिशत की रियायती दर पर खरीद सकते है। यदि नही, तो वे 10 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों ने माना कि वे उक्त लाभ के हकदार है जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत माना। हम संक्षेप में संकेत दे सकते हैं कि यह प्रश्न कैसे उठता है।

2. समाचार पत्र के प्रकाशकों को अपने समाचार पत्र के उत्पादन, मुद्रण व प्रकाशन के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिन्हें इसके बाद कच्चे माल के रूप में संदर्भित किया जावेगा यह प्रकाशक कर अधिनियम के तहत डीलर के रूप में पंजीकृत होता है। वे अपना कच्चा माल अन्य पंजीकृत डीलरों से खरीदते है। इनमें से अधिकांश खरीद अन्तर्राज्यीय खरीद है बेचने वालों डीलरों के हाथों में वे कर के दायरे में

आने वाली अन्तर्राज्यीय बिक्री है।

3. धारा 8 अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर निर्धारित करती है। उपधारा (1) कहती है कि "प्रत्येक डीलर जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण के सरकारी सामान के अलावा किसी पंजीकृत डीलर को बेचता है वह इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उतरदायी होगा जो उसके टर्न ओवर का 4 प्रतिशत होगा। इस उपधारा के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी को उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण का सामान बेचने वाला एक व्यापारी भुगतान करने का हकदार है। कर की रियायती दर अर्थात् उपधारा (4) की अनुपालना में 4 प्रतिशत जैसा कि वर्तमान में बताया गया है। उपधारा (2) में कहा गया है कि जहां अन्तर्राज्यीय बिक्री उन वस्तुओं से संबंधित है जो उपधारा (4) के अन्तर्गत नही आती है। वहां बेचने वाला डीलर उच्च दर पर कर का भुगतान करेगा अर्थात् यदि वे घोषित माल है तो वह उपयुक्त राज्य के अन्दर और ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर लागू दर से दुगुना भुगतान करेगा। अन्य वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर या उपयुक्त राज्य के अन्दर बिक्री पर लागू दर जो भी अधिक हो। धारा 8 की उपधारा (3) (1) खण्ड (बी) के प्रयोजनों के लिए सामान निर्दिष्ट करती है हम यहां केवल उपधारा (3) में खण्ड (बी) से संबंधित है इसकी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उपधारा (3) के खण्ड (बी) को निर्धारित करना उचित होगा।

उपधारा (1) के खण्ड (बी) में निर्दिष्ट सामान उस वर्ग या वर्गों के समान है जो सामान खरीदने वाले पंजीकृत डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट है, जैसा कि उसके द्वारा पुनः बिक्री के लिए या किसी के अधीन है। बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की बिजली के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियम। (रेखांकन हमारा है)

4. खण्ड (बी) इस प्रकार माल की तीन श्रेणी को संदर्भित करता है अर्थात्

(1) माल खरीदने वाले पंजीकृत व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों का, जैसा कि उसके द्वारा पुनः बिक्री के लिए अभिप्रेत है (2) केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी नियम के अधीन बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उसके द्वारा उपयोग के लिए सामान खरीदने वाले पंजीकृत डीलर के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सामान (3) पंजीकृत डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सामान, जो खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए सामान खरीदते है। हम यहां उक्त तीनों में से दूसरी श्रेणी से चिंतित है धारा 8 की उपधारा (4) कहती है कि उपधारा (1) के प्रावधान किसी भी बिक्री पर तब तक लागू नही होंगे जब तक कि बेचने

वाला डीलर निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पंजीकृत डीलर द्वारा जिसे माल बेचा जाता है द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें निर्धारित विवरण शामिल है प्रस्तुत नही करता है। निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में। अधिनियम के तहत बनाये गये नियम उपधारा (4)(1) द्वारा अपेक्षित प्राधिकार व अन्य विवरणों को निर्धारित करते है। नियम सामान खरीदने वाले पंजीकृत डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र के फार्म बी के साथ-साथ उस फार्म को भी निर्धारित करते है जिसमें ऐसे खरीददार द्वारा घोषणा जारी की जानी है (फार्म 'सी')

5. धारा 8 जिसे समग्र रूप से पढा जाता है अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित करती है कि जहां एक डीलर बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए आवश्यक सामान (गैर घोषित सामान) खरीदता है और बेचने के लिए फार्म सी जारी करता है बेचने वाला डीलर धारा 8 (1) के अनुसार वहां केवल 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उतरदायी होगा, न कि धारा 8 (2) में दिये गये 10 प्रतिषत की दर से बशर्तें कि खरीददार डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उसके द्वारा खरीदे गये माल की श्रेणी को निर्दिष्ट करता हो। (घोषित माल के मामले में, बेचने वाले डीलर को उपयुक्त राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर पर कर का भुगतान करना होगा) इसका मतलब अनिवार्य रूप से यह है कि बेचने वाला डीलर केवल खरीददार डीलर से कर एकत्रित करेगा। रियायती दर फार्म बी के अवलोकन से पता चलता है कि

इसमें सभी विवरण शामिल है अर्थात् डीलर का व्यवसाय, धारा 8 की उपधारा (1) व उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की श्रेणी/श्रेणियों और विशेष रूप से क्या खरीदा जा रहा सामान दुबारा बिक्री के लिए है या बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किया जा रहा है या धारा 8 (3) (बी) में उल्लेखित अन्य उद्देष्यों के लिए है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस डीलर द्वारा निर्मित माल का भी उल्लेख है। फार्म सी में भी इसी तरह सभी प्रसंगिक विवरण शामिल है इसे क्रय डीलर द्वारा जारी किया जाता है इस प्रमाण पत्र में खरीदने वाले डीलर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या व अन्य सभी विवरणों का उल्लेख करता है जिसमें यह भी शामिल है कि उसके द्वारा खरीदा जा रहा माल बिक्री के लिए निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किये जाने के लिए है।

यह प्रावधान स्वतः स्पष्ट है, यह सुनिश्चत करता है कि ऐसे क्रय डीलरों द्वारा निर्मित उत्पाद की कीमत उन वस्तुओं के उपभोगताओं के लिए हानिकारक ना हो। संसद कच्चे माल व तैयार माल दोनों पर पूरी दर से कर नही लगाना चाहती है। जहां तैयार माल बिक्री के लिए है वहां उक्त तैयार माल के निर्माण के लिए उपयोग किये गये है या उपभोग किये गये कच्चे माल पर रियायती दर से कर लगाया जाता है क्योंकि राज्य तैयार माल की बिक्री पर कर लगाकर फिर से राजस्व प्राप्त करता है। हालांकि यह आवश्यक नही है कि तैयार माल वास्तव में उनकी बिक्री पर कर के अधीन हो क्योंकि उन्हे अधिनियम द्वारा या उसके तहत जारी अधिसूचना द्वारा छूट

दी जा सकती है। आम तौर पर यह पर्याप्त है कि तैयार माल बिक्री के लिए है तब निश्चित रूप से उनकी बिक्री पर कर लगाया जाता है।

6. अभिव्यक्ति ''माल'' को धारा 2 के खण्ड (डी) में परिभाषित किया गया है जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है कि (डी) माल में सभी सामग्री, लेख, वस्तुएं और अन्य सभी चल सम्पत्ति शामिल है लेकिन इसमें कार्यवाही योग्य दावे, स्टाॅक, शेयर व प्रतिभूतियां शामिल नही है। (केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 जो 5 जनवरी 1957 को लागू हुआ) 1958 के अधिनियम में 31 संशोधन करके ''समाचार पत्र'' शब्द को उक्त परिभाषा में ''लेकिन'' शब्द के बाद डाला गया है। संशोधन के बाद परिभाषा इस प्रकार से हैः

''माल'' में सभी सामग्री, लेख, वस्तुएं और अन्य सभी प्रकार की चल सम्पत्ति शामिल है लेकिन इसमें समाचार पत्र, कार्यवाही योग्य दावे, स्टाॅक, शेयर और प्रतिभूतियां शामिल नही है।

7. 1958 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्थिति यह है कि अभिव्यक्ति ''माल'' की परिभाषा में संशोधन से पहले समाचार पत्रों के प्रकाशक (जिनके पास धारा 8 (3) (बी) द्वारा अनुज्ञा पंजीकरण प्रमाण पत्र था) फाॅर्म सी (धारा 8 (4) (ए) द्वारा विचारित घोषणाएं जारी कर रहे थे और इस आधार पर बेचने वाला डीलर उनसे 4 प्रतिशत की रियायती दर पर केन्द्रीय बिक्री कर एकत्रित कर रहा था, जो गैर घोषित माल के मामले में

था)। इस संबंध में वे किसी अन्य निर्माता की तरह थे लेकिन 1958 (संशोधन) अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों को माल के दायरे से बाहर किये जाने के बाद केन्द्रीय बिक्री कर अधिकारियों ने यह रूख अपनाया कि उक्त संशोधन की परिभाषा के आधार पर समाचार पत्र के मुद्रक/प्रकाशक धारा 8 (1) (बी) सपठित धारा 8 (3) (बी) के लाभ के हकदार नही थे और इसलिए वे फार्म सी जारी करने के हकदार नही है।

उनका तर्क यह था कि क्योंकि समाचार पत्रों में ''माल'' शब्द का प्रयोग नही होता है इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों के प्रकाशक बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उनके उपयोग के लिए कच्चा माल खरीद रहे है। वे जो खरीदते है वह माल हो सकता है लेकिन उनसे निर्मित माल (समाचार पत्र) माल नही है इसीलिए वे धारा 8 (3) (बी) की आवश्यकताओं को पूरा नही करते है। इसका परिणाम यह हुआ कि समाचार पत्रों के प्रकाशक फार्म सी जारी करने में असक्षम हो गये और इसलिए उनके द्वारा उत्पादन (विनिर्माण) के लिए कच्चे माल के रूप में खरीदे गये माल (गैर घोषित माल) पर 10 प्रतिषत की उच्च दर पर कर का भुगतान करने के लिए उतरदायी हो गया। जबकि अन्य सभी निर्माता उक्त लाभ का आनन्द लेते रहे। इसीलिए समाचार पत्रों के प्रकाशकों ने विभिन उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिकारियों की कार्यवाही पर सवाल उठाया जिसमें सबसे पहला निर्णय इंडियन ऐक्सप्रेस (मदूरै) बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी (1972) 29 एस.टी.सी. के मामले में

मद्रास उच्च न्यायालय का था जो समाचार पत्रों के पक्ष में था। कहा जाता है कि वह निर्णय अंतिम हो गया। केरल उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 1990 को मलयाला मनोरमा कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त । बिक्री कर विशेष सर्कल, कोट्टायम 7 अन्य में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जो इस बैंच 1991 की एस.एल.पी. (सी.) संख्या 2 से उत्पन्न अपील का विषय है। छुट्टी दी गई, हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड व अन्य बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी VII, बैंगलोर व अन्य, 59 एस.टी.सी. 306 के मामले में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जो इस बैंच में अपील का विषय है (सी.ए. संख्या 1550 (एन.टी.टी) 1985) प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड के फैसले का पालना कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अन्य समाचार पत्रों के मामले में भी किया जिसके खिलाफ 1992 की एस.एल.पी. (सी.) संख्या 3439 ø इंडियन एक्सप्रेस (मदूरै) लिमिटेड द्वारा पसंदीदा} और 1993 की सी.ए. संख्या 2494 (मैसर्स कस्तूरी एण्ड सन्स लिमिटेड द्वारा पसंदीदा) को प्राथमिकता दी गई। वे भी इस जत्थे में शामिल है। 1992 की एस.एल.पी. (सी.) संख्या 3439 में छुट्टी दी गई।

8. यदि सभी हाथों से एक शाब्दिक निर्माण स्वीकार किया जाता है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है लेकिन मद्रास और केरल उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अभिव्यक्ति ''माल'' की परिभाषा के संषोधन के पीछे की भावना के साथ-साथ सूची । की

प्रविष्टि 92 और 92-ए के साथ पढी गई सूची की प्रविष्टि 54 में अन्तर्निहित योजना को ध्यान में रखना है। संविधान की सातवीं अनुसूची और उस आधार पर यह माना जाता है कि धारा 8 (3) के खण्ड (बी) के उतरार्ध में आने वाली अभिव्यक्ति ''माल'' समाचार पत्रों को इसके दायरे से बाहर नही करती है तदनुसार उन्होनें माना, समाचार पत्र के प्रकाशक धारा 8 (1) (बी) के सपठित धारा 8 (3) (बी) के लाभ के हकदार है। अपीलों के इस समूहों में हमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि दोनों में से कौनसा दृष्टिकोण सही है।

9. उक्त प्रश्न की उचित सराहना के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता के बुनियादी महत्व और प्रासंगिकता पर ध्यान देना उचित होगा।

10. संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) घोषित करता है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से गारंटी नही दी गई है लेकिन इसमें अब कोई संदेह नही है कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। यह बात डाॅ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर विचार विमर्श के दौरान कही थी (संविधान सभा बहस खण्ड 7, पृष्ठ 780 के माध्यम से) और इस न्यायालय द्वारा 1958 से यही माना जाता रहा है। एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स

बनाम भारत संघ ए.आई.आर. (1958) एस.सी 578, यहां तक कि रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ए.आई.आर. (1950) एस.सी 124 में भी।

11. संविधान की सूची II की प्रविष्टि 64 जो राज्य की विधानसभाओं को माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देती है इसमें स्पष्ट रूप से समाचार पत्र शामिल नही है। इसका परिणाम यह है कि राज्य विधान मण्डल समाचार पत्रों की बिक्री पर कर लगाने में सक्षम नही है। सूची I की प्रविष्टि 92 में संसद को समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाये जाने का अधिकार दिया है लेकिन संसद ने अब तक ऐसा करने का विकल्प नही चुना है। संविधान के छठे (संषोधन) अधिनियम 1956 द्वारा प्रविष्टि 92 ए को सूची I में पेश किया गया था और सूची II प्रविष्टि 54 को सूची I की प्रविष्टि 92 ए के प्रावधानों के अधीन बनाने के लिए संषोधित किया गया था। छठे संषोधन के बाद तीन प्रविष्टियां इस प्रकार पढेः

"प्रविष्टि 54 सूची II:-समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, सूची I प्रविष्टि 92 ए के प्रावधानों के अधीन।

प्रविष्टि 92 सूची I:-समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर

प्रविष्टि 92 ए सूची I:-समाचार पत्राें के अलावा अन्य वस्तुओं की

बिक्री या खरीद पर कर, जहां ऐसी बिक्री अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

12. जैसा कि उपर कहा गया है कि यद्यपि संसद को 1956 तक समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद पर किसी भी दर पर कर लगाने का अधिकार था लेकिन उनके द्वारा कभी भी ऐसा कोई कर नही लगाया गया था। इसके विपरीत संविधान लागू होने के तुरन्त बाद संसद में समाचार पत्रों (बिक्री और विज्ञापन) निरसन अधिनियम 1951 कर अधिनियमित किया, जिसके तहत समाचार पत्रों की बिक्री और उनमें प्रकाषित विज्ञापनों पर पहले लगाये गये करों को निरस्त किया गया। यह याद किया जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सातवीं अनुसूची की सूची XI में प्रविष्टि 48 ने समाचार पत्रों की बिक्री को इसके दायरे से बाहर नही किया था और इस कारण वे अपनी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उतरदायी थे। यह वह विषेषता है जिसे उपरोक्त निरसन अधिनियम द्वारा समाप्त करने की मांग की गई थी। सूची I की प्रविष्टि 92-ए, यह ध्यान देने योग्य है, अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने का अधिकार संसद को देते समय विषेष रूप से समाचार पत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया, जिसका अर्थ है कि अन्तर्राज्य बिक्री या समाचार पत्रों की खरीद पर कोई कर नही लगाया जा सकता। संक्षेप में स्थिति यह है कि समाचार पत्रों की अन्तर्राज्य बिक्री पर कोई कर नही लगाया जा सकता और उनकी

अन्तर्राज्य बिक्री पर कोई कर नही लगाया जा सकता है। समाचार पत्रों के इस विषेष व्यवहार के पीछे एक निश्चित दर्शन और एक ऐतिहासिक पृष्ठभुमि है जिस पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

13. सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता हमेश एक पौषित अधिकार रहा है। समाचार पत्र ना केवल समाचार बल्कि विचारों, राय और विचारधाराओं के अलावा और भी बहुत कुछ प्रसारित करते है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य निकायों के कुकर्मो, विफलताओं और खामियोें सामने लाकर सार्वजनिक हितों की रक्षा करें। इसीलिए इसे चतुर्थ स्तम्भ के रूप में वर्णित किया गया है। आज किसी राज्य की लौकतांत्रिक साख इस बात से आंकी जाती है कि उस राज्य में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। डगल्स, जे. (एन. अल्मनैक ऑफ लिबर्टी) के अनुसार सरकार द्वारा एक असंतुष्ट प्रेस को स्वीकार करना राष्ट्र की परिपक्वता का एक माप है। विद्धवान न्यायाधीश ने टर्मिनेलो बनाम शिकांगो (1949) 93 एल. एंड 1131 में कहा हमारी सरकार प्रणाली के तहत स्वतंत्र भाषण का कार्य विवाद को आमंत्रित करता है। यह वास्तव में अपने उच्च उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकता है। जब यह अशांति की स्थिति, असंतोष पैदा करता है जैसी स्थिति है, या जहां तक कि लोगों को गुस्से में भी उकसाते है। भाषण अक्सर उत्तेजक और चुनौतिपूर्ण होता है। यह पूर्वाग्रह और पूर्वाधारणाओं पर हमला कर सकता है और गहरा अस्थिर प्रभाव डाल सकता है क्योंकि यह किसी विचार को

स्वीकार करने के लिए दबाव डालता है।..... हमारे संविधान के तहत अधिक प्रति बन्धात्मक दृष्टिकोण की कोई जगह नही है। विकल्प के लिए विधायिकाओं, अदालतों या प्रमुख राजनीतिक या सामुदायिक समूह द्वारा विचारों के मानवीयकरण को बढावा मिलेगा। उक्त टिप्पणियां बेशक अमेरिकी संविधान के पहले संशेधन के संदर्भ में की गई थी जो स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की गारण्टी देता है लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) के अधीन भारतीय संदर्भ में भी कम प्रासंगिक नही है। मुक्त भाषण को मौलिक महत्व पर जोर देने के लिए ह्युजेस, सी.जे. के डी जोंग बनाम ऑरेगन राज्य (1937) 299 यू.एस. 353 के एक और अंश को उद्धृत करने के लिए हमें क्षमा किया जा सकता है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा " बल और हिंसा द्वारा हमारे संस्थानों को उखाड फेंकने के लिए समुदाय को उकसाने से बचाने का महत्व जितना अधिक है, अवसर को बनाये रखने के लिए स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र सभा के संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक है। स्वतंत्र राजनैतिक चर्चा, अन्त तक की सरकार लोगों की ईच्छा के प्रति उतरदायी हो सकती है और परिवर्तन यदि वांछित हो शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है इसमें गणतंत्र की सुरक्षा निहित है, संवैधानिक सरकार की नींव"।

14. यह सच है कि अक्सर प्रेस चाहे व्यवसायिक कारणों से या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण अवांछनीय स्तर तक गिर जाता है और

सकारात्मक सार्वजनिक शरारत का कारण बन सकता है लेकिन कठिनाई इस तथ्य में निहित है थाॅमस जैफरसन द्वारा मान्यता प्राप्त है कि यह स्वतंत्रता ''हारे बिना सीमित नही की जा सकती है''। थाॅमस जैफरसन ने कहा हालांकि यह एक ऐसी बुराई है जिसका कोई ईलाज नही है, हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे खोये बिना सीमित नही किया जा सकता (डाॅ. जे. करी को लिखे एक पत्र में, 1786) यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षित बुद्धी के साथ एक सक्षम, उदासीन, सार्वजनिक उत्साही प्रेस ऐसा करने के अधिकार और साहस को जाने, उस सार्वजनिक गुण को संरक्षित कर सकते है जिसके बिना लोकप्रिय सरकार एक दिखावा और उपहास है। एक निंदक, स्वार्थी, डेमोगोजिक प्रेस समय के साथ अपने ही जैसे ही आधार वाले लोगों को तैयार करेगी। गणतंत्र का भविष्य बनाने की शक्ति भावी पीढियों की पत्रकारिता के हाथों में होगी, जैसा कि जाॅसेफ पुलित्जर ने कहा था।

15. इसका यह मतलब नही कि प्रेस या तो कराधान से या औद्योगिक संबंधों से संबंधित सामान्य कानूनों से या अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के राज्य विनियमन से मुक्त है, जैसा कि इस न्यायालय ने एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ ए.आई.आर. (1958) एस.सी. 578 ने जोर दिया न ही यह मानहानी और मानहानि के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व सहित देष के सामान्य कानून से मुक्त है। यह प्रतिबंध प्रकाशित करने के अधिकार, सूचना प्रसारित करने के अधिकार और

समाचार पत्रों के प्रसार से सीधे संबंधित किसी भी प्रतिबंध को लगाने पर है। सकल पेपर बनाम भारत संघ (1962) 3 एस.सी.आर. 342 एक अधिनियम समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम 1956 में केन्द्र सरकार को समाचार पत्रों की कीमतों को उनके पृष्ठों और आकार के आधार पर विनियमित करने और विज्ञापन सामग्री के लिए स्थान के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार देता था जिसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया गया। यह माना गया कि उक्त अधिनियम अनुच्छेद 19 के खण्ड 2 द्वारा संरक्षित नही था। यह माना गया कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित थी और यह एक नागरिक को ना केवल अपने विचारों का प्रचार करने का अधिकार है बल्कि उन्हें प्रकाशित करने, प्रसारित करने, मौखिक या लिखित रूप से प्रसारित करने का भी अधिकार है। आगे यह भी माना गया कि उक्त अधिकार ना केवल उस मामले तक विस्तारित है जिसे प्रसारित करने का वह हकदार था बल्कि प्रसार की मात्रा तक भी था आगे यह भी माना गया कि समाचार पत्रों की गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से बोलेने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नही किया जा सकता।

16. बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी बनाम भारत संघ (1972) 2 एस.सी.सी. 788 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी न्यूज प्रिन्ट नियन्त्रण आदेश, 1982 की वैधता पर सवाल उठाया गया था। उक्त नियन्त्रण आदेश में कई प्रतिबंध लगाये गये जैसे (ए) सामान्य

स्वामित्व इकाई द्वारा समाचार पत्र या संस्करण शुरू करने पर एक रोक लगायी गई थी (बी) इसने अखबार के पन्नों को कठोरता से 10 तक सीमित कर दिया (सी) इसमें सामान्य स्वामित्व इकाई के भीतर विनिमेयता पर रोक लगा दी, और (डी) इसने केवल समाचार पत्रों में 20 प्रतिशत पृष्ठ वृद्धि की अनुमति दी। उक्त नियन्त्रण आदेश के तहत वर्ष 1972-73 के लिए विकसित की गई आयात नीति को विभिन्न आधारों पर रद्द कर दिया गया। हमारे उद्देश्य के लिए उन आधारों में से एक पर ध्यान देना पर्याप्त है अर्थात् समाचार पत्रों को 10 पृष्ठों तक अनिवार्य रूप से कम करना अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है और भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह माना गया कि पृष्ठों का निर्धारत ना केवल समाचार पत्रों को उनकी आर्थिक व्यवहार्यता से वंछित करेगा बल्कि पृष्ठ स्तर की अनिवार्य कमी के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करेगा।

17. इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985) 1 एस.सी.सी. 641 के निर्णय को संदर्भ में लिया जाना चाहिए जिसमें ना केवल प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया गया है बल्कि यह भी माना गया है कि एक अखबार तब तक जीवित नही रह सकता और खुद को आम आदमी की पहुंच के भीतर कीमत पर नही बेच सकता है जब तक विज्ञापन लेने की अनुमति नही है। (पेरा नंबर 84 देखेंं) यह निर्णय इस कारण से महत्वपूर्ण है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को अन्य

उद्यमों की तुलना में उच्च स्तर पर रखना चाहता है जैसा कि ई.एस. वैंकेटरमैया ने बैंच के लिए बोलते हुए कहा।

"प्रेस की स्वतंत्रता के साथ अखबारी कागज के घनिष्ट संबंध को ध्यान में रखते हुए, इसकी शक्तियों का निर्धारण करने के लिए परीक्षण इसीलिए, किसी कानून पर कर लगाने वाले अखबारी कागज को आमतौर पर अन्य कर लगाने वाले कानून की शक्तियों के परीक्षण के लिए अपनाये जाने वाले परीक्षणों से भिन्न होना चाहिए। सामान्य कर के मामलों में कानूनों पर तभी सवाल उठाये जा सकता है जब या तो खुले तौर पर जब्त करने योग्य है या जब्त करने के लिए रंगीन उपकरण है। वहीं दूसरी और अखबारी कागज पर कर के मामले में यह एक स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बोझ दिखाने के लिए पर्याप्त हो सकता है जो स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर कर के लिए जिम्मेंदार है।

18. अब धारा 2 (डी) में माल की परिभाषा के संशेधन पर पुनः आते है केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में उक्त संशेधन, उक्त परिभाषा को संविधान के छठे संशेधन अधिनियम (यहां पहले संदर्भित) द्वारा लाये गये संशोधनों के अनुरूप लाने की दृष्टि से लाया गया था, उसी चिंता से प्रेरित किया गया था अर्थात् समाचार पत्रों की बिक्री को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट देने के लिए। उक्त संशेधन का उद्देश्य कोई बोझ उत्पन्न करना नही था बल्कि अखबारों पर पहले से मौजूद बोझ को हटाना था जो कि समाचार

पत्रों पर कर (बिक्री और विज्ञापन) निरसन अधिनियम 1951 द्वारा प्रमाणित है। यह चिंता अवश्य होनी चाहिए कि धारा 8 (3) (बी) के दूसरे भाग में पाने वाली अभिव्यक्ति माल को समझने और व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। अब अभिव्यक्ति माल धारा 8 (3)(बी) में चार अवसरों पर आती है। पहले तीन अवसरों पर इसे उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जो धारा 2 के खण्ड बी में परिभाषित है। जब धारा 8 (3)(बी) खण्ड के दूसरे भाग यानि चौथे अवसर पर माल अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है तो इसे धारा 2 (बी) में परिभाषित अर्थ में नही समझा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ''माल'' धारा 8 (3) (बी) के पहले भाग में संदर्भित है जो उस चीज को संदर्भित करती है जिसे आम तौर पर कच्चे माल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। (ऐसे मामलों में जहां उन्हें बिक्री के लिए माल के निर्माण में उपयोग के लिए डीलर द्वारा खरीदा गया था) जबकि उक्त शब्द ''माल'' चौथी बार आता है स्पष्ट रूप से कच्चे माल का उल्लेख नही कर सकता है। यह विनिर्मित माल को संदर्भित करता है अर्थात इस मामले में ऐसे क्रय डीलर द्वारा निर्मित सामान, समाचार पत्र यदि हम धारा 8 (3) (बी) के

दूसरे भाग में परिभाषित अर्थ को माल से जोडते है तो यह समाचार पत्रों को धारा 2 (बी) में परिभाषा के संशोधन से पहले की तुलना में अधिक प्रतिकूल स्थिति में डाल देगा। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि धारा 2 जो अधिनियम में होने वाली अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है,

इन शब्दों के साथ खुलता है ''इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक ना हो'' इससे पता चलता है कि अधिनियम में जहां भी माल शब्द आता है यह अनिवार्य नही कि कोई व्यक्ति यांत्रिक रूप से खण्ड बी में दिये गये अर्थ के साथ जोड दे, सामान्यतः ऐसा ही होता है लेकिन जहां संदर्भ अनुमति नही देता है या जहां संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता होती है वहां उक्त परिभाषा में दिये गये अर्थ को लागू करने की नही है। यदि हम उक्त विचार को ध्यान में रखते है तो यह स्पष्ट होगा कि अभिव्यक्ति ''माल'' धारा 8 (3) (बी) के दूसरे भाग में आती है। समाचार पत्रों को इसके दायरे से बाहर करने का निर्णय नही लिया जा सकता। प्रसंग इसकी इजाजत नही देता, इसे संसद द्वारा कभी शामिल नही किया गया है। उक्त संशोधन से पहले, स्थिति यह थी कि राज्य सरकार पन्नों की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर नही लगा सकता था, संसद ऐसा कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा किया नही और सूची । की प्र्रविष्टि 92-ए संसद को समाचार पत्रों की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर लगाने से रोकती है। उपरोक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप जबकि समाचार पत्र बिक्री पर कोई कर नही दे रहे थे तब वे धारा 8 (1) (बी) सपठित धारा 8 (3) (बी) का लाभ उठा रहे थे और समाचार पत्रों को छापने व प्रकाषित करने के लिए आवष्यक गैर घोषित वस्तुआें पर केवल 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर रहे थे। संशेधन के बाद उनकी स्थिति इससे बदतर नही हो सकती जो कि तब होगी जब हम राजस्व के तर्क को स्वीकार कर लें। यदि राजस्व का कर

स्वीकार कर लिया जाता है तब धारा 8 (2) में निर्धारित गैर घोषित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत कर का भुगतान करने के लिए उतरदायी होंगे। यह राजस्व की प्रस्तुति को स्वीकार करने का आवश्यक परिणाम होगा क्योंकि समाचार पत्र धारा 8 (1) (बी) सपठित धारा 8 (3) (बी) के लाभ से वांछित हो जायेंगे। हमें नही लगता कि 1958 संशाेधन अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त ''माल'' की परिभाषा में संशोधन के पीछे ऐसी मंशा थी यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां संदर्भ अनुमति नही देता है वहां यह बेतुके या अनपेक्षित परिणाम की ओर ले जायेगा, अभिव्यक्ति की परिभाषा को यांत्रिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता नही है। वाईड पी.एम. कन्नियन बनाम आयकर अधिकारी पाण्डिचेरी व अन्य (1968) 2 एस.सी.आर. 103, पुष्पा देवी और अन्य बनाम मिल्कीराम द्वारा विधिक वारिसान (1990) 2 एस.सी.आर. 134, पेरा 14 और आयकर आयुक्त बैंगलोर बनाम जे.एच. गोठिला यादगिरी (1985) 4 एस.सी.सी. 343

19. उपरोक्त कारणों से हम मानते है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 (3) (बी) में माल शब्द बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उसके द्वारा उपयोग के लिए शब्द में आता है। शामिल करता है अर्थात् समाचार पत्रों को बाहर नही करता है। हम मद्रास व केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से सहमत है। हमारे विचार में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दृष्टिकोण टिकाउ नही है।

20. उपरोक्त कारणों से 1985 की सिविल अपील संख्या 1550, 1993 की सी.ए. संख्या 2494 और 1994 की सी.ए. संख्या 694 (1992) की एस.एल.पी. संख्या 3439 से उत्पन्न की अनुमति है और सिविल अपील संख्या 672 की अनुमति है और 1994 की सिविल अपील संख्या 672 एस.एल.पी. (सी.) संख्या 2 (1991) को खारिज किया जाता है। 1991 के डब्लू.पी. (सी.) संख्या 278 में कोई आदेश नही। कोई व्यय नही।

जी.एन.

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा सान्दू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।